भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2656

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमडीडीकेवाई की स्थिति

2656. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के अंतर्गत चिह्नित 100 जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रस्तावित जिला स्तरीय धन-धान्य समितियों की संरचना क्या है और कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रकार की जा रही है;

(ग) पीएमडीडीकेवाई के अंतर्गत छोटे/सीमांत किसानों द्वारा आधुनिक पद्धतियों को अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) सिंचाई, भंडारण और फसल कटाई-पश्चात सुविधाओं में सुधार की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) योजना के उद्देश्यों को समर्थन देने में कृषि वैज्ञानिकों और आईसीएआर/केवीके की भूमिका क्या है;

(च) उपज सुधार, फसल विविधीकरण और आय वृद्धि की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) योजना की रूपरेखा में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 16 जुलाई, 2025 को 100 जिलों को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) को स्वीकृति प्रदान की गई है । इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि,फसल विविधीकरण और सतत् कृषि पद्धतियों को अपनाने में वृद्धि, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

(ख): जिला स्तर पर धन-धान्य समिति की संरचना इस प्रकार है:

1. जिला कलक्टर - अध्यक्ष
2. सीईओ जिला पंचायत (पीडी.डीआरडीए)
3. जिला कृषि अधिकारी/उप निदेशक (कृषि) - सदस्य सचिव
4. जिला स्तरीय अधिकारी, बागवानी विभाग
5. जिला स्तरीय अधिकारी, मत्स्यपालन विभाग

6. जिला स्तरीय अधिकारी, पशुपालन विभाग
7. जिला रजिस्ट्रार सहकारी समितियां
8. जिला पंचायती राज अधिकारी या समकक्ष
9. कार्यपालक अभियंता, सिंचाई
10. लीड बैंक अधिकारी
11. नाबार्ड के प्रतिनिधि
12. केवीके के प्रमुख वैज्ञानिक
13. प्रगतिशील किसान
14. राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित जिला स्तरीय अधिकारी या विभाग विशेष के अन्य संबंधित अधिकारी

(ग): इस योजना को 11 विभागों की मौजूदा 36 योजनाओं के अभिसरण, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा,जिसमें इन जिलों के किसानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

(घ): प्रत्येक धन-धान्य कृषि जिले में योजना की प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) पर की जाएगी। 11 विभागों की अभिसरित की जाने वाली सभी 36 मौजूदा योजनाओं से संबंधित ये आउटपुट और आउटकम संकेतक द्वारा उत्पादकता में सुधार, सिंचाई, भंडारण और फसलोउपरांत कटाई की सुविधाओं, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने, ऋण उपलब्धता, कौशल विकास आदि से संबंधित संकेतकों को कवर किया जाएगा।

(ङ): प्रत्येक धन-धान्य कृषि योजना (डीडीकेवाई) जिले के लिए एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) को नॉलेज पार्टनर बनाया जाएगा। विस्तार गतिविधियों को सुदृढ़ करने में जिलों के केवीके की महत्वपूर्ण भूमिका है।

(च) और (छ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की मौजूदा योजनाएं जिन्हें उपज सुधार, फसल विविधीकरण, आय लाभ और जलवायु रिजिलीअन्स (अनुकूलन) के लिए पीएम-डीडीकेवाई के तहत अभिसरण किया जाएगा, इस संबंध में जानकारी अनुबंध में दी गई हैं। इसमें जिला योजना में उत्पादकता और फसल सघनता में कमी को प्रभावी ढंग से दूर करने के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। इन योजनाओं के केपीआई को मासिक रूप से ट्रैक किया जाएगा। नॉलेज पार्टनर के तकनीकी मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, प्रति बूंद अधिक फसल और अन्य मिशनों के मिलाते हुए जलवायु अनुकूलन का अभिसरण किया जाएगा।

अनुबंध

पीएम-डीडीकेवाई के अंतर्गत अभिसरण की जाने वाली कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की मौजूदा योजनाएं

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
3. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)/ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
4. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
5. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
6. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
8. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
9. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
10. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
11. नमो ड्रोन दीदी
12. सॉइल हेल्थ एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
14. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
15. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयलसीड
16. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
17. डिजिटल कृषि मिशन
18. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

*****